



न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 265 / 2026

(CIS No. 342/2026)

(CNR No. RJRS010008992026)

(प्र.सू.रि.सं. – 82 / 2026, पुलिस थाना कुंवारिया)

1. आशुराम पुत्र भगवानलाल, निवासी— भील बस्ती धणोली, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमंद (राज.)।
2. गणेशलाल पुत्र किशनलाल भील, निवासी भील बस्ती, जाटियां खेडी, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमंद (राज.)।

..... प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 3(5) बी.एन.एस.)

उपस्थित :-

1. श्री दिनेश खटीक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनांक : 05.06.2026

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पुलिस थाना कुंवारिया की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82 / 2026 के प्रकरण में सुनवाई हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
2. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से बहस की गई कि उन्हें इस प्रकरण में गलत रूप से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को दिनांक 24.05.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अभिरक्षा में है। प्रकरण में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण से अनुसंधान पूर्ण हो चुका तथा कोई बरामदगी भी उनसे नहीं हुई है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व उसके पश्चात् विचारण में काफी लंबा समय लगेगा। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा



विचारणीय है। लिहाजा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के खेत पर स्थित कुएं पर लगी 5 एचपी की मोटर व केबल चोरी करने का आरोप बताया गया है।

लिहाजा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

3. हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.05.2026 को परिवादी देवीलाल ने थानाधिकारी पुलिस थाना कुंवारीया के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका खेत सुथारों की भागल के पास स्थित है जहां पर कुएं पर 5 एचपी की मोटर लगी हुई थी। वह दिनांक 16.05.2026 को खेत पर मवेशियों को छोड़ने एवं पानी भरने के लिए मोटर चालू करने गया तो कुएं की मोटर व केबल का नहीं मिली। उसके पड़ोसी रमेशचंद्र पिता शोभालाल के कुएं की केबल भी दिनांक 15.05.2026 की रात्रि को कोई चोरी कर ले गया। उसे शंका है कि उसके कुएं पर एक-दो बार आशु पिता भग्गा, निवासी धनोली व उसके साथ एक-दो व्यक्ति आये थे, उक्त व्यक्ति ही उसकी मोटर व केबल लेकर गये होंगे इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कुंवारीया द्वारा प्रकरण संख्या 82/2026, अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 3(5) बी.एन.एस. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

4. इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर मोटर व केबल चोरी का आरोप होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 24.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निरंतर अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है, जिससे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अब इस प्रकरण में कोई अनुसंधान या बरामदगी अपेक्षित नहीं होने का तथ्य केस डायरी के अवलोकन से जाहिर होता है। इस



प्रक्रम पर प्रकरण के शेष अनुसंधान व उसके पश्चात् अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किये बिना, हम प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

5. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. आशुराम पुत्र भगवानलाल, निवासी भील बस्ती धणोली, पुलिस थाना कुंवारीया, जिला राजसमंद (राज.) व 2. गणेशलाल पुत्र किशनलाल भील, निवासी भील बस्ती, जाटियां खेडी, पुलिस थाना कुंवारीया, जिला राजसमंद (राज.) की ओर से पुलिस थाना कुंवारीया की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2026 के प्रकरण में, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 1,00,000/- रुपये का स्वयं का बंध-पत्र एवं 50,000-50,000/- रुपये की सुदृढ़ दो प्रतिभू न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु विचारण न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे और अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद